कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, (कक्ष भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश

वन भवन, डी-ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं.-2, तुलसी नगर, भोपाल-462003

क्रमांक/एफ-3/1035918/I/1088748/2026 भोपाल, दिनांक:12-06-2026

प्रति,

सहा. वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय,पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड नं. 3,रविशंकर नगर,मध्यप्रदेश,भोपाल।

विषय:- बैतूल जिले के अंतर्गत मेढ़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 20.14 हे. **वनभूमि** जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने **बाबत्। (FP/MP/IRRIG/37074/2018)**

संदर्भ:-भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र दिनांक 01.01.2026.

--00--

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार द्वारा चाही गई निम्न बिन्दुओं की जानकारी संबंधितों से प्राप्त की जाकर निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

क्र.	बिन्दु	उत्तर
1	प्रस्ताव से संबंधित e-mail के माध्यम से प्रेषित revised KML file चाहे गये मानकों के अनुरूप नहीं है एवं revised kml file, ऑनलाईन पोर्टलमें अपलोड नहीं है। अत: संशोधित KML file, ऑनलाईन पोर्टलमें अपलोड करें।	इस संबंध में लेख है, कि आवेदक विभाग द्वारा प्रश्नाधीन वनखण्ड-49 (सीमांकित संरक्षित वनकक्ष क्रं. पी-1101) की सुधारित KML file वनमंडल कार्यालय से प्राप्त की जाकर आनलाइन पोर्टल पर भाग-1 के बिन्दु क्रमांक C(ii)(a) के अनुक्रमांक 8 में अपलोड की गयी है। वनमंडलाधिकारी, दक्षिण बैतूल ने अपने पत्र दिनांक 23.03.2026 से अवगत कराया है कि उक्त KML file कार्यालय वनसंरक्षक, कार्य आयोजना इकाई बैतूल से प्राप्त की गयी है।
2	प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण (CA) का क्षेत्र पहले से गुजर रही ट्रांसमिशन लाइन के व्यपवर्तन क्षेत्र में शामिल है और यदि अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता होती है तो उसे CA के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में जोड़ा जाएगा से संबंधित राज्य शासन के अभिमत सहित प्रेषित किया जाये।	प्रकरण में CA हेतु भूमि ग्राम-चापड़ा रैयत, खसरा नंबर-17/1 (स) रकबा 50.140 हे. में से 9.28 हे. (मद-छोटे झाड़ का जंगल) तथा खसरा नंबर-17/2 (स) रकबा 35.00 हे. (मद-वन शासकीय) इस प्रकार कुल 44.28 हे. भूमि उत्तर बैतूल वनमंडल अंतर्गत प्राप्त हुई है। मेंढा मध्यम परियोजना के अंतर्गत प्रभावित वनभूमि का रकबा 20.14 हे. के एवज में दोगुना क्षेत्र (मद-छोटे झाड़ का जंगल) 40.28 हेक्टेयर होता है। वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र का कुल रकबा 44.28 हे. क्षेत्र राजस्व विभाग से हस्तांतरित करा लिया गया है, जो कि 4.00 हे. अधिक है। खसरा नंबर-17/2 (स) रकबा 35.00 हे. में पहले से गुजर रही ट्रांसमिशन लाईन का रकबा 2.08 हेक्टेयर (400 मी. लंबाई X 52 मी. चौड़ाई = 20800 वर्ग मीटर) होता है। वनमंडलाधिकारी, उत्तर बैतूल ने पत्र दिनांक 17.03.2025 से मत दिया है कि इस 4.00 हे. अधिक क्षेत्र जिसमें पॉवरलाईन गुजर रही है को सुरक्षा की दृष्टि से वृक्षारोपण क्षेत्र में शामिल किया गया है। अतः प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता नही होगी।

अत: उपरोक्तानुसार अनुरोध है कि प्रकरण में भारत सरकार से औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by
Hari Shankar Mohanta
Date: 12-06-2026
18:10:08

ADDITIONAL PRINCIPAL CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) बैतूल वृत्त बैतूल, मध्यप्रदेश।
2. वनमण्डलाधिकारी, (सा0) वनमण्डल दक्षिण बैतूल/उत्तर बैतूल, मध्यप्रदेश।
3. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं-2, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

PCCF(O/o APCCF-LAND MANAGEMENT)

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी दक्षिण बैतूल (सा.) वनमण्डल (म.प्र.)

पता – कालेज रोड, गांधीनगर वार्ड, बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.) पिन : 460001

E-Mail : dfotsbetul@mp.gov.in, dfotsbetul@gmail.com **Ph. & Fax No. 07141-234266**

क्रमांक / मा.चि. / 411 **बैतूल, दिनांक 23 / 03 / 2026**

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
(भू–प्रबंध) भोपाल

विषय :– **बैतूल जिले के अंतर्गत मेंढा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 20.14 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्।** (प्रकरण क्र.- FP/MP/IRRIG/37074/2018)

संदर्भ :– 1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्र. 6-MPR/025/2022/BHO दिनांक 01.01.2026

2. आपका पत्र क्र. / एफ–3 / 17 / 2019 / 10–11 / 2 दिनांक 10.01.2026

3. कार्यालयीन पत्र क्र. / मा.चि. / 901, 902 दिनांक 16.02.2026

4. वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल का पत्र क्र. / मा.चि. / 2026 दिनांक 17.03.2026

— **0** —

निवेदन है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल के संदर्भित पत्र द्वारा प्रकरण संबंधी निम्नानुसार 02 बिन्दुओं की चाही गई जानकारी प्रस्तुत करने हेतु आपके संदर्भित पत्र दिनांक 10.01.2026 से वनमंडल कार्यालय को लेख किया गया है। बिन्दु क्रमांक–01 की कार्य आयोजना अधिकारी बैतूल एवं बिन्दु क्रमांक–02 की वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल से प्राप्त जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

बिन्दु क्रमांक	जानकारी	विवरण
01	प्रस्ताव से संबंधित e-mail के माध्यम से प्रेषित revised KML file चाहे गये मानको के अनुरूप नही है एवं revised KML file, online portal में अपलोड नहीं है। अतः संशोधित KML file, online portal में अपलोड किये जाने का कष्ट करे।	प्रकरण में प्रश्नाधीन वनखण्ड–49 (सीमांकित संरक्षित वनकक्ष क्र. P-1101) की सुधारित (revised) KML फाईल कार्यालय वनसंरक्षक कार्य आयोजना इकाई बैतूल के कार्यालयीन ई–मेल दिनांक 03.11.2025 से वनमंडल कार्यालय में प्राप्त एवं वनमंडल कार्यालयीन पत्र क्र. / मा. चि. / 1866 दिनांक 03.11.2025 एवं ई–मेल दिनांक 03. 11.2025 से आपके कार्यालय प्रेषित की गई थी। Revised KML file, online portal में अपलोड की कार्यवाही वन मुख्यालय सूचना प्रौद्योगिकी एवं भू–प्रबंध कक्ष द्वारा होनी है।
02	प्रस्तावित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (CA) का क्षेत्र पहले से गुजर रही ट्रांसमिशन लाइन के व्यपवर्तन क्षेत्र में शामिल है और यदि अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता होती है तो उसे CA के लिये प्रस्तावित क्षेत्र में जोड़ा जाएगा से संबंधित राज्य शासन के अभिमत सहित प्रेषित किया जाये।	वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल के संदर्भित पत्र अनुसार ग्राम–चापड़ा रैयत, पटवारी हल्का–पहावाड़ी, तहसील–शाहपुर की भूमि खसरा नंबर–17 / 1 (स) रकबा–50.140 हे. में से 9.28 हे. तथा खसरा नंबर–17 / 2 (स) रकबा–35.00 हे., इस प्रकार कुल 44.28 हे. क्षेत्र वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित किया गया है। मेंढा मध्यम परियोजना के अंतर्गत डूब से प्रभावित वनभूमि 20.14 हे. वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग में देने के एवज में दोगूना क्षेत्र 40.28 हे. होता है। खसरा नंबर–17 / 2 (स) रकबा–35.00 हे. में से उपवनमंडलाधिकारी शाहपुर (सा.) द्वारा प्रस्तुत मौका स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार ट्रांसमिशन लाईन का (400 मीटर लंबाई X 52 मीटर चौड़ाई = 20800 वर्ग मीटर) 2.08 हे. क्षेत्र में पॉवरलाईन गुजर रही है।

342
26/3/26

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

		वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र का कुल रकबा 44.28 हे. क्षेत्र राजस्व विभाग से हस्तांतरित करा लिया गया है, जो कि 4.00 हे. अधिक है। 4.00 हे. अधिक क्षेत्र जिसमें पॉवरलाईन गुजर रही है को सुरक्षा की दृष्टि से वृक्षारोपण क्षेत्र में शामिल किया गया है। अतः प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता नही होगी।

बिन्दु क्रमांक–01 अनुसार प्रश्नाधीन क्षेत्र की सुधारित KML फाईल (Revised KML file) पुनः आज ई–मेल दिनांक 23.03.2026 एवं वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल के संदर्भित पत्र की छायाप्रति अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु हार्डकॉपी में संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(अरिहंत कोचर)
भा.व.से.
वनमंडलाधिकारी,
दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल
बैतूल, दिनांक /03/2026

पृ. क्रमांक / मा.चि. /
प्रतिलिपि :–

1. वनसंरक्षक, वन वृत्त बैतूल म.प्र. की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. वनमंडलाधिकारी, उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कार्य आयोजना अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक–2 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वनमंडलाधिकारी,
दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल

18/3/26

E-mail Received on

कार्यालय वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

DM

07141-234204(कार्यालय), E-Mail -- dfotnbetul@mp.gov.in

क्रमांक/मा0चि0/2026 / 1669 बैतूल, दिनांक/ 17/03/2026

प्रति,

वनमंडलाधिकारी,
दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल

D.F.O.
18-03

विषय :- बैतूल जिले के अंतर्गत मेंढा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 20.14 हे. वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत् । (FP /MP/ IRRIG/ 37074 / 2018)

संदर्भ :- आपका पृ. पत्र क्रमांक / माचि. / 489 दिनांक 16.01.2026

1990
23/3/26

--00--

विषयांतर्गत आपके संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल का पत्र दिनांक 01.01.2026 के बिंदु क्रमांक – 2 अनुसार चाही गई जानकारी निम्नानुसार है :-

बिंदु क्रमांक – 2	वनमंडल की टीप
प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण (CA) का क्षेत्र पहले से गुजर रही ट्रांसमिशन लाइन के व्यपवर्तन क्षेत्र में शामिल है और यदि अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता होती है तो उसे CA के लिये प्रस्तावित क्षेत्र में जोड़ा जाएगा से संबंधित राज्य शासन के अभिमत सहित प्रेषित किया जाये।	ग्राम चापड़ा रैयत पटवारी हल्का पहावाड़ी तहसील शाहपुर की भूमि खसरा नंबर – 17/1 (स) रकबा- 50.140 हे. में से 9.28 हे. तथा खसरा नंबर - 17/2 (स) रकबा- 35.00 हे. इस प्रकार कुल 44.28 हे. क्षेत्र वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित किया गया है। मेंढा मध्यम परियोजना के अंतर्गत डूब से प्रभावित वनभूमि 20.14 हे. वनभूमि जल संसाधान विभाग को उपयोग में देने के एवज में दोगूना क्षेत्र 40.28 हे. होता है। खसरा नंबर – 17/2 (स) रकबा- 35.00 हे. में से उपवनमंडलाधिकारी शाहपुर (सा.) द्वारा प्रस्तुत मौका स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार ट्रांसमिशन लाईन का (400 मीटर लंबाई X 52 मीटर चौड़ाई = 20800 वर्ग मीटर) 2.08 हे. क्षेत्र में पॉवरलाईन गुजर रही है। वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र का कुल रकबा 44.28 हे. क्षेत्र राजस्व विभाग से हस्तांतरित करा लिया गया है, जो कि 4.00 हे. अधिक है। 4.00 हे. अधिक क्षेत्र जिसमें पॉवरलाईन गुजर रही है को सुरक्षा की दृष्टि से वृक्षारोपण क्षेत्र में शामिल किया गया है। अतः प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता नही होगी।

वनमण्डलाधिकारी
उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

E:\DM-Latter-01.01.2026 LETTER.doc

पृ.क्र./मा0चि0/2026/ 1670 बैतूल, दिनांक/ 17/03/2026

प्रतिलिपि :- कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक – 2 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

वनमण्डलाधिकारी
उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल